न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2018/68** दायर दिनांक **21.02.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामकुमार पुत्र पन्नाराम जाति बावरी निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. रामचन्द्र पुत्र पेमाराम 2. डुगाराम पुत्र पेमाराम 3. खेताराम पुत्र पन्नाराम 4. धन्नाराम पुत्र पन्नाराम 5. मांगी पुत्री पन्नाराम 6. गणपति पुत्री पन्नाराम 7. नेमादेवी पुत्री पन्नाराम 8. चुका पुत्री पन्नाराम समस्त जाति बावरी निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 9. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत रेकर्ड दुरूस्ती व घोषणा खातेदारी

उपस्थित–

1. श्री मेहन्द्रसिंह अधिवक्ता, वादी।
2. प्रतिवादीगण सं0 01 ता 09 अनुपस्थित,।

–:: निर्णय ::–

दिनांक **15.01.2019**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि,वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है।तथा अलग–अलग ही रहते व कमाते खाते है।

वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत ख.न. 17 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा वाके शरहद पावटा मे स्थित है।जिसके संबंध मे साहयक कलैक्टर महोदय द्वारा एक निर्णय पारित हुआ जिसके अनुसार 06 बीघा 12 बिस्वा भूमि उत्तरी हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के बन्ट में रखा गया व 06 बीघा 12 बिस्वा भूमि दक्षिणी हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 03 व 04 के व इनकी माता नानुडी के बन्ट हिस्से मे रखा गया।

निर्णय दिनाकं 29.04.2014 के अनुसार उक्त खेत उपर वर्णितानुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद हो गया व सम्वत 68 से 71 की खतौनी मे भी इसका इन्द्राज हो गया।

पटवारी द्वारा अथवा राजस्व रेकर्ड के अधिकारियो व कर्मचारियों की भूल के कारण सम्वत 2072 की खतौनी में खेत खसरा नम्बर 17 व इसके नये खसरा बने जो 275/17 सम्पुर्ण रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा अकेले प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम सहवन से खतौनी मे अकिंत हो गया।

खेत ख. न. 275/17 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा की खातेदारी 1/4 भाग पर वादी व 1/4 भाग पर प्रतिवादी संख्या 03 व 1/4 भाग पर प्रतिवादी संख्या 04 व 1/4 भाग पर प्रतिवादी संख्या 05 ता 08 व वादी व प्रतिवादी संख्या 03 व 04 के नाम नानूडी के फौत होने के बाद अंकित होनी चाहिये थी, परन्तु राजस्व रेकर्ड के अधिकारियो व कर्मचारियो की गलती के कारण ऐसा नही हो सका।

वर्तमान मे नकल खतौनी लेने पर ज्ञात हुआ कि खेत ख. न. 275/17 मे वादी व प्रतिवादी संख्या 03 ता 08 मे से किसी का भी नाम अंकन

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

नही है।उक्त खेत प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 के नाम गलती से अंकन हो गया है।जिससे दावा बाबत रेकर्ड दुरुस्ती का करना लाजमी आया है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 03 ता 08 खेत ख. न. 275/17 पर वर्तमान मे कब्जा काश्त है।तथा प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 खसरा नम्बर 17 पर कब्जा काश्त है।

प्रार्थना वादी है कि

कि खेत ख. न. 275/17 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा की खातेदारी 1/4 भाग पर वादी व 1/4 भाग पर प्रतिवादी संख्या 03 व 1/4 भाग पर प्रतिवादी संख्या 04 व 1/4 भाग पर प्रतिवादी संख्या 05 ता 08 व वादी व प्रतिवादी संख्या 03 व 04 के नाम राजस्व रेकर्ड मे खातेदारी अकिंत की जावे व प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 का नाम हटाया जाकर अमल दरामद किये जाने का आदेश फरमावें।एवं रेंकर्ड दुरुस्ती किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

दिनाकं 15.01.2019 को वादी के अधिवक्ता ने आदेशिका मे नोटेड कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 के विरूद्व कोई कार्यवाही नही चाहते है।

बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

:—आदेश—:

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा दौलतपुरा के खेत ख. न. 275/17 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा की खातेदारी 1/4 भाग पर वादी व 1/4 भाग पर प्रतिवादी संख्या 03 व 1/4 भाग पर प्रतिवादी संख्या 04 व 1/4 भाग पर प्रतिवादी संख्या 05 ता 08 व वादी व प्रतिवादी संख्या 03 व 04 के नाम राजस्व रेकर्ड मे खातेदारी अकिंत की जाती है। व प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 का नाम हटाया जाता है।तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक (कलक्टर)
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 15.01.2019 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक (कलक्टर)
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 2018/68 दायर दिनांक 21.02.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामकुमार पुत्र पन्नाराम जाति बावरी निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. रामचन्द्र पुत्र पेमाराम 2. डुगाराम पुत्र पेमाराम 3. खेताराम पुत्र पन्नाराम 4. धन्नाराम पुत्र पन्नाराम 5. मांगी पुत्री पन्नाराम 6. गणपति पुत्री पन्नाराम 7. नेमादेवी पुत्री पन्नाराम 8. चुका पुत्री पन्नाराम समस्त जाति बावरी निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 9. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत रेकर्ड दुरूस्ती व घोषणा खातेदारी

दिनांक 15.01.2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मेहन्द्रसिंह अधिवक्ता, वादी उपस्थित व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 16 ,अनुपस्थित । मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि–

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा दौलतपुरा के खेत ख. न. 275/17 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा की खातेदारी 1/4 भाग पर वादी व 1/4 भाग पर प्रतिवादी संख्या 03 व 1/4 भाग पर प्रतिवादी संख्या 04 व 1/4 भाग पर प्रतिवादी संख्या 05 ता 08 व वादी व प्रतिवादी संख्या 03 व 04 के नाम राजस्व रेकर्ड मे खातेदारी अकिंत की जाती है। व प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 का नाम हटाया जाता है।तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत......................–....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 15.01..2019 को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–68–2018/रीडर/2019/ 223 दिनांक 2/4/19

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत रेकर्ड दुरूस्ती व घोषणा खातेदारी

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामकुमार पुत्र पन्नाराम जाति बावरी निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. रामचन्द्र पुत्र पेमारा वगैराह

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner